International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume XIII, Issue II, March – April 2026 **Available online at: www.ijaur.com**
Impact Factor- 5.999

सीमेंट उद्योग पर वस्तु एवं सेवा कर (**जी.एस.टी.**) लागू होने से मध्यप्रदेश के राजस्व पर प्रभाव का एक अध्ययन

श्री महेंद्र कुमार चोकसे सहायक प्राध्यापक -वाणिज्य
शहीद भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरिया
डॉ उषा शर्मा सहायक प्राध्यापक वाणिज्य

सारांश:- सीमेंट उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है और रोज़गार के अवसर पैदा करता है। बढ़ती आबादी,आर्थिक गतिविधियों के बढ़ते दायरे और रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास के कारण भारतीय सीमेंट उद्योग में ज़बरदस्त उछाल आया है। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास पहलों ने भी सीमेंट की मांग को बढ़ाया है। वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की कर दरों में बदलाव किए हैं। भारत का सीमेंट उद्योग इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सरकार के लिए भारी राजस्व उत्पन्न करता है। सीमेंट उद्योग पर जी.एस.टी. लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा।साथ ही सीमेंट उद्योग से मध्यप्रदेश के राजस्व में होने वाले परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है।

कुंजीशब्द– सीमेंट उद्योग, जी.एस.टी.

परिचय:-

सीमेंट निर्माण क्षेत्र में एक बुनियादी कच्चा माल है और निर्माण कार्यों के लिए एक अतिआवश्यक निर्माण सामग्री है। इसे भारत में निर्माण कार्यों की लागत में एक ज़रूरी व्यय के रूप में माना जाता है। सीमेंट उद्योग अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आगम है। मध्यप्रदेश, भारत का सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सीमेंट उद्योग मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सीमेंट क्षेत्र सतना-मैहर बेल्ट है। यहाँ सीमेंट निर्माण के अनेक कारखाने स्थापित किये गए है, जिसके कारण राज्य में रोजगार की उपलधता के साथ साथ राज्य के राजस्व को बढ़ाने में भी योगदान है । इस क्षेत्र में सीमेंट निर्माण हेतु कच्चा माल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसलिए क्षेत्र को अक्सर **"मध्यप्रदेश का सीमेंट हब"** कहा जाता है।

शोध साहित्य:-

- आशीष कुमार डॉ. मनीष कुमार सिन्हा "भारत में सीमेंट उद्योग: चुनौतियां और संभावनाएं" 2022 उत्पादन,संयंत्रों की वृद्धि, मांग और खपत के संदर्भ में उपयोग के संदर्भ में भारत में सीमेंट उद्योग के विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। यह शोध पत्र भारत में सीमेंट व्यवसाय के विकास और इतिहास कीजांच करने का प्रयास करता है।
- अब्बासी वोहरा अली असगर(2021) माल एवं सेवा कर: सीमेंट उद्योग और उसके स्टॉक मूल्य पर प्रभाव वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की कर दरों में बदलाव आया है। वस्तु एवं सेवा कर से करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करने की उम्मीद है। यह अप्रत्यक्ष कराधान के मौजूदा आधार को वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह की ओर परिवर्तित करके भारत में आर्थिक विकास के लिए बहुत

जरूरी उत्प्रेरक प्रदान करता है। भारत का सीमेंट उद्योग इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सरकार के लिए उच्च राजस्व उत्पन्न करता है।

- अंकुर टाक और रविंदर कुमार(2019)ने सीमेंट इंडस्ट्री पर असर डालने वाले कई तत्वों की पहचान की,जैसे विक्रय ,कर संग्रहण ,लॉजिस्टिक लागत,ट्रांसपोर्ट,वेयरहाउस,सुपुर्दगी का समय,कच्चे माल की लागत,उत्पादन लागत ,भुगतानका तरीका,जी.एस.टी. कर की दर, जी.एस.टी.सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी और डिस्ट्रीब्यूटर। देखा गया कि कर की दर 28 प्रतिशत टैक्स होने के कारण अलग-अलग अवसंरचना परियोजनाओ पर असर पड़ा।
- एच. रावल और अन्य (2018) ने जी.एस.टी. लागू होने से पहले और बाद में भवन निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया है। यह देखा गया कि भले ही आगत कर छूट(इनपुट टैक्स क्रेडिट) को ध्यान में न रखा जाए,फिर भी जी.एस.टी. लागू होने से प्रोजेक्ट की लागत में 1.2 प्रतिशत तक की काफ़ी कमी आई है। यदि आगत कर छूट से जुड़े अध्ययनों को भी ध्यान में रखा जाए,तो यह लागत और भी कम हो जाएगी इसलिए यह कहा जा सकता है कि निर्माण उद्योग पर जी.एस.टी. का यह एक सकारात्मक प्रभाव है।

शोध के उद्देश्य:-

यह शोध मध्यप्रदेश में सीमेंट उद्योग पर जी.एस.टी. के प्रभाव का अध्ययन करने का एक प्रयास है।

1. मध्यप्रदेश के सीमेंट उद्योग का अध्ययन।
2. सीमेंट उद्योग पर जी.एस.टी. के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. सीमेंट उद्योग पर जी.एस.टी. लागू होने से मध्यप्रदेश के राजस्व के संकलन का विश्लेषण ।

मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन

राज्य में हर साल लगभग 45–50 मिलियन टन (4.5–5 करोड़ टन) सीमेंट उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियों की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 18–20 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियाँ (इंटीग्रेटेड प्लांट) हैं। अगर ग्राइंडिंग यूनिट और छोटे प्लांट भी जोड़ दें तो संख्या लगभग 25–30 इकाइयों तक मानी जाती है। मध्य प्रदेश में हर साल लगभग 30–35 मिलियन टन (3–3.5 करोड़ टन) सीमेंट की खपत होती है।

तालिका-1 मध्य प्रदेश की टॉप 10 सीमेंट फैक्ट्रियाँ

क्रमांक	सीमेंट फैक्ट्रियाँ	प्लांट स्थान	जिला	क्षमता मिलियन टन
1	अल्ट्रा टेक सीमेंट	मैहर	सतना	लगभग 4–5
2	अल्ट्रा टेक सीमेंट	धार	धार	लगभग 3–4
3	ए.सी.सी. लिमिटेड	कयमोर	कटनी	लगभग 2–3
4	बिरला कारपोरेशन	सतना	सतना	लगभग 3
5	प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड	सतना	सतना	लगभग 7
6	हिड़लबर्ग सीमेंट इंड़िया	निंबाहेड़ा	नीमच	लगभग 2

7	जे.के. सीमेंट	पन्ना	पन्ना	लगभग 2
8	श्री सीमेंट	कटनी क्षेत्र ग्राइंडिंग	कटनी	लगभग 2–3
9	जे.पी. ग्रुप	रीवा क्षेत्र प्लांट	रीवा	लगभग 2–3

तालिका-2 मध्यप्रदेश में जी.एस.टी. लागू होने से पूर्व सीमेंट व्यवसायियों की संख्या

वर्ष	कुल सीमेंट व्यापारी
2012-13	1424
2013-14	1676
2014-15	1884
2015-16	1957
2016-17	2150

आरेख-2 मध्यप्रदेश में जी.एस.टी. लागू होने से पूर्व सीमेंट व्यवसायियों की संख्या

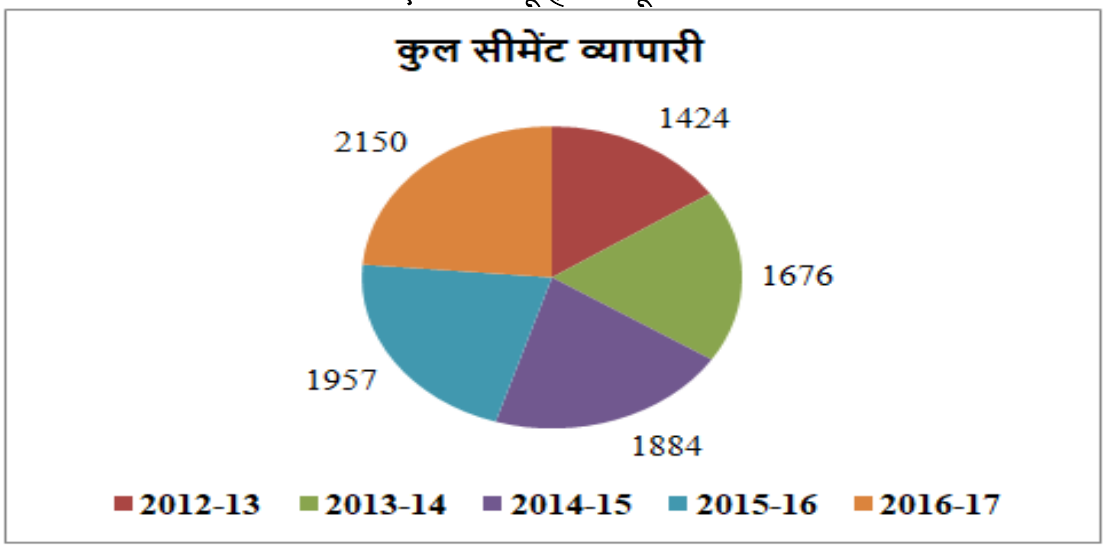

तालिका-3 मध्यप्रदेश में जी एस टी लागू होने के पश्चात व्यवसायियों की संख्या

वर्ष	कुल सीमेंट व्यापारी
2017-18	4470
2018-19	5080
2019-20	5700
2020-21	6133
2021-22	7356
2023-24	7882

आरेख-3 मध्यप्रदेश में जी.एस.टी. लागू होने से पश्चात सीमेंट व्यवसायियों की संख्या

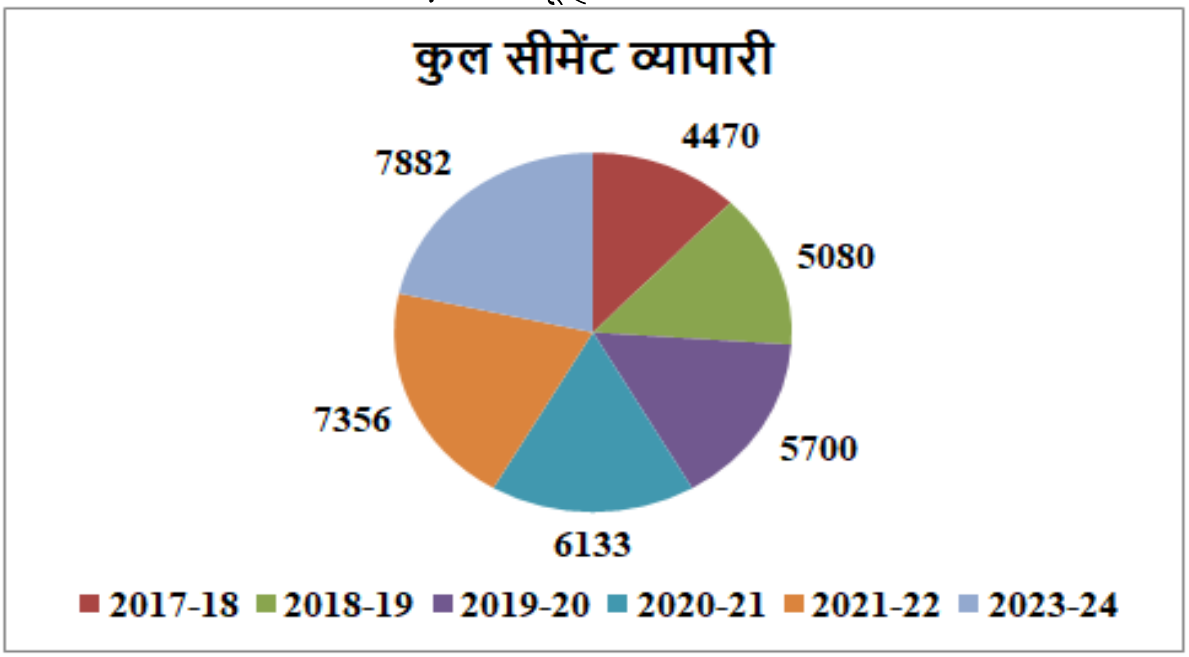

उपरोक्त तालिकों एवं आरेखों के अध्ययन से स्पष्टतः विदित होता है कि वर्ष 2012-13 में कुल सीमेंट व्यवसायी संख्या की तुलना में वर्ष 12-13 और क्रमशः 17-18 तक सीमेंट व्यवसायियों में औसतन वृद्धि दृष्टिगत हुई है। वर्ष 2017-18 के बाद जबकि जी.एस.टी. लागू हुआ है जिसका अर्थ यह है कि जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात् सीमेंट व्यवसाय ने विस्तृत स्वरूप लिया है एवं इस व्यापार में लिप्त व्यापारियों के पंजीयन में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

तालिका-4
मध्यप्रदेश में जी.एस.टी. लागू होने से पूर्व सीमेंट उद्योग से प्राप्त अप्रत्यक्ष कर राजस्व
(आँकड़े लाख रूपए में)

वर्ष	वेट	केंद्रीय विक्रय कर	प्रवेश कर	कुल
2012-13	71246	2167	14609	88022
2013-14	76139	2753	15144	94036
2014-15	87475	2717	15694	105887
2015-16	85335	3156	15853	104345
2016-17	88933	2161	13682	104776

आरेख-4 मध्यप्रदेश में जी.एस.टी. लागू होने से पूर्व सीमेंट उद्योग से प्राप्त अप्रत्यक्ष कर राजस्व (ऑकड़े लाख रूपए में)

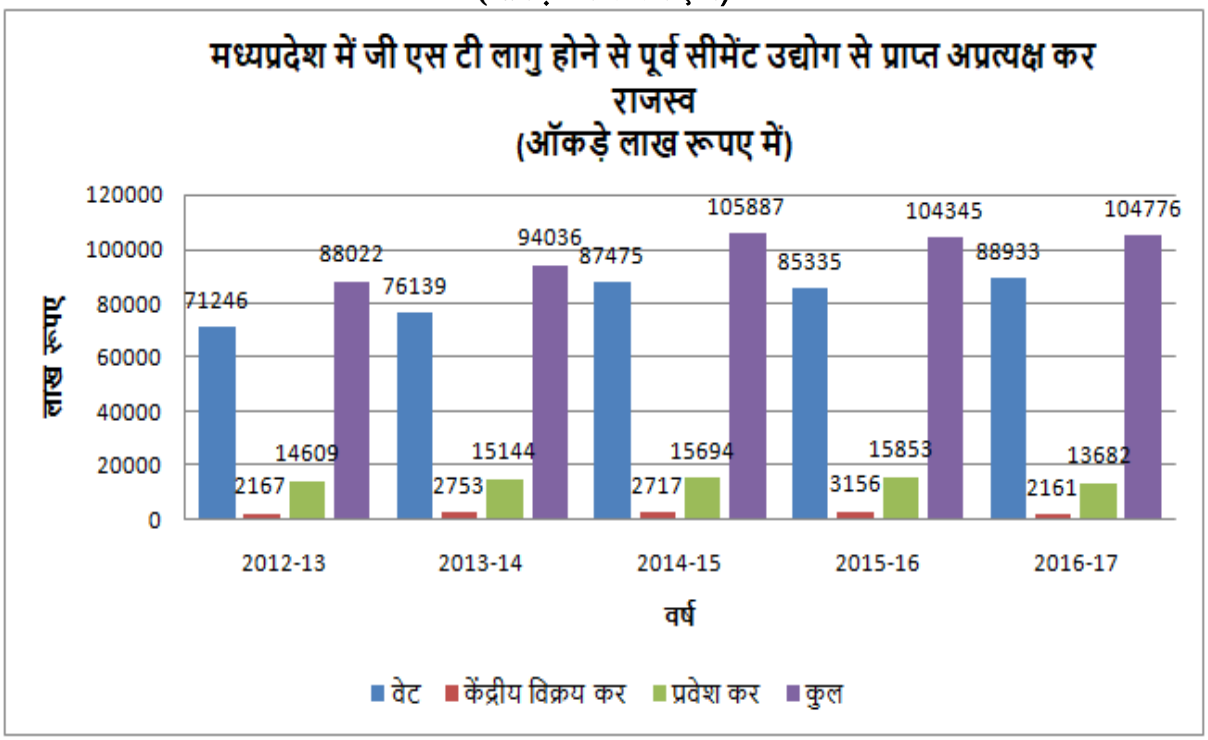

मध्यप्रदेश में जी.एस.टी. लागू होने के पूर्व अप्रत्यक्ष कर के रूप में तीन प्रकारों के कर सीमेंट पर लागू किए जाते रहे थे, जिनमें क्रमशः 14 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर (वेट), 2 प्रतिशत केन्द्रीय विक्रय कर एवं 1 प्रतिशत प्रवेश कर लगाया जाता था। उपरोक्त तालिका एवं आरेख के ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2012-13 की तुलाना में वर्ष 2013-14 में 6015 लाख रूपए के राजस्व में वृद्धि मध्यप्रदेश में देखी गयी। इसी तारतम्य में वर्ष 2014-15 में 11851 लाख रूपए,वर्ष 2015-16 में 1542 लाख रूपए की कमी एवं वर्ष 2016-17 में भी इसी प्रकार से 431 लाख रूपए की कमी प्रदेश के राजस्व संग्रह में देखी गयी।

मध्यप्रदेश में सीमेंट से संग्रहित होने वाले जी.एस.टी. राजस्व पृथक-पृथक वर्षों में शासन द्वारा सार्वजनिक नही किए जाते है,अपितु उद्योग के अनुमान और कर की हिस्सेदारी के आधार पर इसका औसतन योगदान सर्वाजनिक किया जाता है। अनुमान है कि सीमेंट जैसे उद्योग के द्वारा राज्य के कुल राजस्व 28 प्रतिशत में लगभग 8 से 9 प्रतिशत राजस्व का योगदान बताया जाता है। जी.एस.टी. दर भारत में सीमेंट पर 28 प्रतिशत है,इसलिए इस उद्योग,इसके उत्पादों एवं विक्रय को राज्य सरकार के लिए कर संग्रहण एक महत्तवपूर्ण स्त्रोत माना जाता है।

तालिका-5 मध्यप्रदेश में सीमेंट उद्योग से प्राप्त जी.एस.टी. राजस्व (ऑकड़े लाख रूपए में)

वर्ष	जी एस टी राजस्व
2017-18	110591
2018-19	184838
2019-20	186332
2020-21	178147
2021-22	223621
2022-23	273132

आरेख-5 मध्यप्रदेश में सीमेंट उद्योग से प्राप्त जी.एस.टी. राजस्व (ऑकड़े लाख रूपए में)

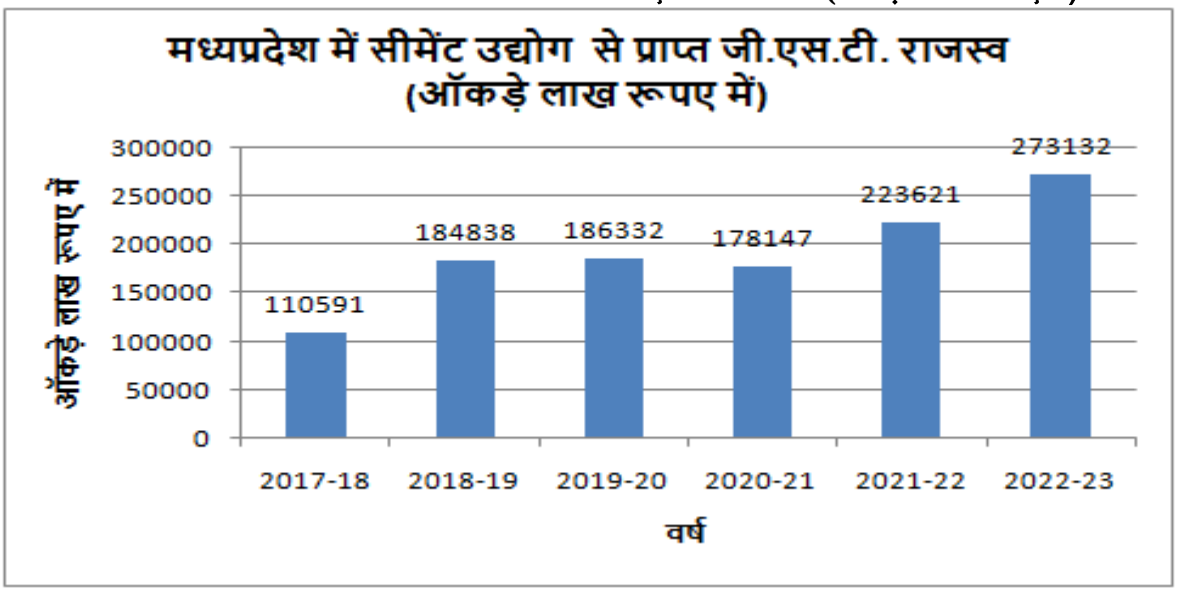

जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात वर्ष 2017-18 से मध्यप्रदेश में सीमेंट उद्योग के राजस्व के ऑकड़े जो सार्वजनिक किए गए उनके अनुसार वर्ष 2018-19 में वर्ष 2017-18 की तुलना में 74247 लाख रूपए की अप्रत्याशित राजस्व वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह से अन्य वर्षों में भी अमूमन वृद्धि ही देखी गयी है। वर्ष 2018-19 में 1494 लाख रूपए,वर्ष 2020-21 में राजस्व में 8685 लाख रूपए की कमी देखी गयी है। जिसका एकमात्र कारण (कोविड़-19) होने के कारण से राजस्व में कमी आई। इसके पश्चात वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के वर्षों में क्रमशः 45474 लाख रूपए एवं 49511 लाख रूपए की आश्चर्यजनक वृद्धि पायी गयी।

निष्कर्ष-:

उपरोक्त दी गई सारनियों से स्पष्ट है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्यप्रदेश राजस्व में वृद्धि हुई है, परंतु पूर्व में मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष कर के रूप में लगभग 17% कर लगाया जाता था साथ ही केंद्र सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क भी लगाया जाता था, जबकि सीमेंट उद्योग पर जीएसटी की दर 28% है। अतः यह स्पष्ट

रूप से नहीं कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राजस्व में वृद्धि जीएसटी लागू होने से हुई या बढ़ी हुई दर का परिणाम है क्योंकि जीएसटी पूर्व की तुलना में की कर दर 9% अधिक है उत्पादन शुल्क शामिल करने पर लगभग 4% है अतः यह वृद्धि उस कारण से भी हुई मानी जा सकती है इसी प्रकार मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के व्यवसाय एवं डीलरों में भी वृद्धि हुई है जो की वास्तविक है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग व्यापार बढ़ा है सीमेंट की उत्पादकता के साथ-साथ मांग में वृद्धि होने से डीलर संख्या में वृद्धि हुई है साथ ही साथ यह स्पष्ट है कि जीएसटी लागू होने से कार्य प्रणाली से लाभ हुआ है एवं व्यवसायों द्वारा अपना पंजीयन इस अधिनियम के अंतर्गत कराया गया है अंत में यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश की राजस्व का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है एवं जीएसटी लागू होने से इसके राजस्व में वृद्धि हुई है।

सन्दर्भ सूची:-

1. गुप्ता, एस., महापात्रा, बी.एन., बंसल, एम., (2020). 'पोर्टलैंड लाइमस्टोन सीमेंट के डेवलपमेंट पर एक रिव्यू: इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लो कार्बन इकॉनमी की ओर एक कदम', करंट रिसर्च इन ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री. doi: 10.1016/j.crgsc.2020.100019.
2. टाक, ए., और कुमार, आर. (2019). "भारत के सीमेंट उद्योगों के लिए सप्लाई चेन के मुद्दे और चुनौतियाँ: एक केस स्टडी", एडवांस इन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, 297–302. doi:10.1007/978-981-13-6412-9_27
3. के. राजमणि, आर.एस. लक्ष्मी और अश्विनी रवि (2018). "सीमेंट इंडस्ट्री के सन्दर्भ में जीएसटी के असर के बारे में डीलरों की राय पर एक स्टडी", इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (IRJBM). वॉल्यूम XI इश्यू-5
4. मॉरिस, एस., पांडे, ए., अग्रवाल, एस. के., और अग्रवाल, ए. (2018). भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर प्रस्तावित GST का असर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर रिसर्च पेपर सीरीज, (2018)
5. मध्यप्रदेश वाणिज्य कर विभाग के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन अनुसार
6. पवित्रा. आर, और डॉ. रंजीत कुमार एस, (2018) "सीमेंट की कीमत पर जीएसटी का असर। मैसूर शहर में सिलेक्टेड कंस्ट्रक्शन्स रिवेट लिमिटेड से सबूत", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 9(11), 2018,
7. जीएसटी प्राईम रिपोर्ट मध्यप्रदेश वाणिज्य कर विभाग
8. टाइम्स ऑफ़ इंडिया
9. बिज़नेस स्टैण्डर्ड